भारत INDIA भारत INDIA

5 रु. Rs.5 5 रु. Rs.5

भारत INDIA भारत INDIA

पाँच रुपये FIVE RUPEES पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल महोदय, ग्वालियर म.प्र.

रिविजन क्रं /

PBR/निगरानी/देवास/भू-रा/2017/2337

1. कासमअली पिता छोटेखॉ जाति – मुसलमान
   आयु – 56 वर्ष,व्यवसाय – नौकरी एवं खेती
2. आशीक खॉ पिता सकुरखॉ जाति – मुसलमान
   आयु–42 वर्ष,व्यवसाय – खेती
3. कालेखॉ पिता ईब्राहीमखॉ जाति – मुसलमान
   आयु – 75 वर्ष,धंधा – खेती
   सभी निवासीगण – बागली तह.बागली जिला देवास म.प्र. ....निगरानीकर्ता

विरूद्ध

1. कैलाश पिता छोगालाल जी गुर्जर जाति – गुर्जर
   आयु – 58 वर्ष,धंधा – खेती
2. अनिल पिता कैलाश जी गुर्जर जाति – गुर्जर
   आयु – 30 वर्ष,धंधा – खेती
   निवासीगण – बागली तह.बागली जिला देवास म.प्र. ..प्रतिनिगरानीकर्ता

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म.प्र. भु – राजस्व सहिंता
अधिनस्थ न्यायालय के प्रकरण क्रं 22अ68 / 2015–2016
दिनांक 13 / 06 / 2017 के विरूद्ध निगरानी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक PBR/निगरानी / देवास / भू.रा. / 2017 / 2337

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–12–2017	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । नायब तहसीलदार, बागली के आदेश दिनांक 13–6–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि आवेदकगण द्वारा रूढ़िगत रास्ता होने के सम्बन्ध में ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि प्रश्नाधीन रास्ता रूढ़िगत रास्ता है । इसके अतिरिक्त आवेदकगण के लिए आने–जाने हेतु वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है । उपरोक्त निष्कर्ष के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	